

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 — कार्तिक 4, शक 1943

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2021.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर 966/आठ-परि./2014, दिनांक 21 नवम्बर 2014 एवं अधिसूचना क्रमांक 644/966/ आठ-परि./2014, दिनांक 09 मई, 2016 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में वर्णित सभी लोक सेवकों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कारित तथा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, उक्त अनुसूची के तत्स्थानी कॉलम (3) एवं (4) में वर्णित की गई राशि से करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. परिवहन आयुक्त
2. अपर परिवहन आयुक्त
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी
4. समस्त पुलिस अधीक्षक
5. संयुक्त परिवहन आयुक्त
6. समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
8. उप परिवहन आयुक्त
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी
10. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक
11. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त
12. वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
13. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
14. समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

15. समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
16. समस्त जिला परिवहन अधिकारी
17. समस्त परिवहन निरीक्षक
18. समस्त परिवहन उप-निरीक्षक
19. समस्त सहायक परिवहन उप-निरीक्षक
20. समस्त पुलिस थाना प्रभारी
21. समस्त पुलिस निरीक्षक, यातायात शाखा
22. समस्त पुलिस उप-निरीक्षक, यातायात शाखा
23. समस्त पुलिस सहायक उप-निरीक्षक, यातायात शाखा
24. परिवहन विभाग के समस्त प्रधान आरक्षक

अनुसूची

स. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं	प्रशमन की राशि रू. में	
		प्रथम अपराध के लिए	द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जहां लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 177 – अपराधों के दण्ड के लिये साधारण उपबंध – मोटरयान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के समस्त अपराध, परन्तु इसमें इसके पश्चात् इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।	300	900
2.	धारा 178(1) – मंजिली गाड़ी आदि में, बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर दण्ड।	500	500
	धारा 178(2)– मंजिली गाड़ी आदि में कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर	500	500
	धारा 178(3) – संविदा वाहन चलाने से इंकार करने पर (क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयान	100	100
	(ख) अन्य किसी मामलें में	500	500
3.	धारा 179(1) – आदेशों की अवज्ञा करना, बांधा डालना एवं जानकारी देने से इंकार करना।	500	500
	धारा 179(2) – जानकारी देने से इंकार करना या मिथ्या जानकारी देना।	500	500
4.	धारा 180 – अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	1000	1000
5.	धारा 181 – धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना (चालक अनुज्ञप्ति आदि हेतु आवश्यक)	1000	1000
6.	धारा 182(1) – चालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध।	1000	1000
	धारा 182(2) – परिचालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध।	1000	1000
	धारा 182क(1)– मोटरयानों और उनके संघटकों के संनिर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन संबंधी अपराध हेतु दण्ड।	100000	100000

	धारा 182क(3)- किसी मोटरयान के ऐसे संघटक का विक्रय करना या विक्रय करने का प्रस्ताव देना या विक्रय करने की अनुमति देना, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विकट (नाजुक) सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो अध्याय सात या नियम और विनियम का पालन नहीं करते हैं।	100000	100000
	धारा 182क(4)- मोटरयान के स्वामी द्वारा किसी मोटरयान, जिसके अंतर्गत मोटरयान के पुर्जों का पश्च-फिटिंग करने के माध्यम भी शामिल हैं, का किसी ऐसी रीति में, परिवर्तन करता है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है।	ऐसे प्रति परिवर्तन पर 5000	ऐसे प्रति परिवर्तन पर 5000
	धारा 182ख - धारा 62क के उल्लंघन के लिए दण्ड।	5000	10000
7.	धारा 183(1)(एक) - तेज गति से (हल्का मोटरयान का चालन) आदि	1000	2000
	धारा 183(1)(दो) - तेज गति से (मध्यम मालयान अथवा मध्यम यात्री यान एवं भारी माल यान या भारी यात्री यान) का चालन आदि।	2000	3000
8.	धारा 184- खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना।	2000	5000
9.	धारा 186 - जब मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए यान चलाया जाता हो।	500	1000
10.	धारा 189 - दौड़ और गति मुकाबला	5000	10000
11.	धारा 190(2) - सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन (क) दो पहिया यान	300	600
	(ख) तीन पहिया, आटोरिक्शा एवं टेम्पो	500	800
	(ग) हल्का मोटरयान	800	1500
	(घ) मध्यम एवं भारी मोटरयान	2000	3000
12.	धारा 192(1) - बिना रजिस्ट्रेशन के यानों का उपयोग करना (क) दो एवं तीन पहिया यान	1000	2000
	(ख) हल्का मोटरयान	2000	3000
	(ग) मध्यम एवं भारी मोटरयान	3000	5000
	धारा 192क(1)- परमिट के बिना, यान का उपयोग।	5000	10000
13.	धारा 194 (1)- अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान का चालन	10000 + 2000 अतिरिक्त प्रत्येक टन अधिक भार के लिए लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित	10000 + 2000 अतिरिक्त प्रत्येक टन अधिक भार के लिए लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित
	धारा 194(1)(क)- ऐसे मोटरयान को चलाना, जो ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या उसका कोई चीज शरीर की साईड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊँचाई में पाश्विक रूप से बाहर निकल जाती है।	20000	20000
	धारा 194(2) - चालक द्वारा रूकने से और यान का भार कराने से इंकार करना	20000	20000
	धारा 194(क)- अधिक यात्रियों का वहन।	100 रु. प्रति अधिक यात्री	100 रु. प्रति अधिक यात्री
	धारा 194(ख)(1)- सुरक्षा बेल्ट के बिना वाहन चलाना या ऐसे यात्रियों को ले जाना, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हो।	500	1000

	धारा 194(ख)(2)– ऐसे मोटरयान को चलाना या चलवाना या चलवाने के लिए अनुज्ञात करना, जिसमें कोई ऐसा बालक हो, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है।	500	1000
	धारा 194(ग)– मोटर साइकिल चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन हेतु दण्ड।	500	500
	धारा 194(घ)– सिर के सुरक्षा पहनावे को नहीं पहनने वालों के लिए दण्ड।	500	500
	धारा 194(ड.)– आपातकालीन यान के आ जाने पर सड़क की एक ओर ले जाने में असफल होने पर।	5000	5000
	धारा 194(च)– अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना या हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना या ऐसा मोटरयान चलाना, जो ऐसे कट-आउट का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है।	1000	2000
14.	धारा 196 – बीमा न किये गये यान को चलाना	2000	4000
15.	धारा 198 – यान में अनाधिकृत हस्तक्षेप	1000	1000

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 25th October 2021

NOTIFICATION

No. F 5-5/VIII-Trans/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department's Notification No. R-966/viii-Trans/2014, dated 21st November, 2014 and Notification No. 644/966/viii-Trans./2014, dated 09th May, 2016, the State Government, hereby, authorizes all Public Servants mentioned in list below to compound offences committed within their respective jurisdiction and punishable under Section mentioned in column (2) of the Schedule below for the amount mentioned in the corresponding column (3) and (4) of the said Schedule, namely :-

1. Transport Commissioner
2. Additional Transport Commissioner
3. All District Magistrates
4. All Superintendents of Police
5. Joint Transport Commissioner
6. All Additional District Magistrates
7. All Additional Superintendents of Police
8. Deputy Transport Commissioner
9. All Sub-Divisional Magistrates
10. All Deputy Superintendents of Police, Sub-Divisional officers police and City Superintendents of Police
11. All Assistant Transport Commissioner
12. All Senior Regional Transport Officers

13. All Regional Transport Officers
14. All Additional Regional Transport Officers
15. All Assistant Regional Transport Officers
16. All District Transport Officers
17. All Transport Inspectors
18. All Transport Sub-Inspectors
19. All Assistant Transport Sub-Inspectors
20. All Police Station in-charge
21. All Inspectors of Police, Traffic Branch
22. All Sub-Inspectors of Police, Traffic Branch
23. All Assistant Sub-Inspectors, Traffic Branch
24. All Head Constables of Transport Department

SCHEDULE

S.No.	Section of the Motor Vehicle Act, 1988	Amount for compounding in Rupees	
		For First Offence	For second or Subsequent offences whichever Applicable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 177 General Provision for Punishment of offences- All offences of the Motor Vehicle Act, 1988 and Central Motor Rules, 1989 but are not specified in this Schedule hereafter.	300	900
2.	Section 178(1) – Penalty for traveling without pass or ticket in a stage carriage etc.	500	500
	Section 178(2) – Duties not performing by the conductor in a stage carriage etc.	500	500
	Section 178(3) – On refusal to drive a contract vehicle. (A) Two or three wheeler vehicle.	100	100
	(B) In any other case.	500	500
3.	Section 179(1) – Disobedience of orders, obstruction and refusal of information.	500	500
	Section 179(2) – Refusing to give information or giving false information	500	500
4.	Section 180 – Allowing unauthorized person to drive vehicles.	1000	1000
5.	Section 181 – Driving vehicles in contravention of Section 3 or Section 4.(Necessity for Driving Licence, etc.)	1000	1000
6.	Section 182(1) – Offences relating to licences.	1000	1000
	Section 182(2) – Offences relating to conductor licences.	1000	1000
	Section 182A(1) – Punishment for offences relating to construction, maintenance, sale and alteration of motor vehicles and components.	100000	100000

	Section 182A(3) – Sells or offers to sell, or permits the sale of any component of a motor vehicle which has been notified as a critical safety component by the Central Government and which does not comply with Chapter VII or the rules and regulation.	100000	100000
	Section 182A(4) – The owner of a motor vehicle, alters a motor vehicle, including by way of retrofitting of motor vehicle parts, in a manner not permitted under the Act or the rules and regulations.	5000 per such alteration	5000 per such alteration
	Section 182 B – Punishment for contravention of Section 62 A	5000	10000
7.	Section 183(1)(i) - Driving at excessive speed (Light Motor Vehicle), etc.	1000	2000
	Section 183(1)(ii) - Driving at excessive speed (Medium Goods Vehicle or Medium Passenger Vehicle and Heavy Goods Vehicle or Heavy Passenger Vehicle), etc.	2000	3000
8.	Section 184 - Driving dangerously.	2000	5000
9.	Section 186 - Driving when mentally or physically unfit to drive.	500	1000
10.	Section 189 - Racing and trials of speed	5000	10000
11.	Section 190(2) - Violates the standards prescribed in relation to road safety, control of noise and air-pollution. (A) Two wheeler	300	600
	(B) Three wheeler, Auto rickshaw and Tempo	500	800
	(C) Light Motor Vehicle	800	1500
	(D) Medium and Heavy Motor Vehicle	2000	3000
12.	Section 192(1) - Using vehicles without Registration. (A) Two and Three wheeler vehicle.	1000	2000
	(B) Light Motor vehicle.	2000	3000
	(C) Medium and Heavy Motor Vehicle.	3000	5000
	Section 192A (1) - Using vehicles without Permit.	5000	10000
13.	Section 194(1) - Driving vehicle exceeding permissible weight.	10000 + 2000 For every additional ton of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of the excess load.	10000 + 2000 For every additional ton of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of the excess load.

	Section 194(1)(A) - Driving vehicle when such motor vehicle is loaded in such manner that the load or any part thereof or anything extends laterally beyond the side of the body or to the front or to the rear or in height beyond the permissible limit.	20000	20000
	Section 194 (2) - Driver of a vehicle who refuses to stop and submit the vehicle to weighing.	20000	20000
	Section 194(A) - Carriage of excess passengers.	100 per excess passenger.	100 per excess passenger.
	Section 194(B)(1) - Drive a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belt.	500	1000
	Section 194(B)(2) - Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven with a child who, not having attained the age of fourteen years, is not secured by a safety belt or a child restraint system.	500	1000
	Section 194(C) - Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders.	500	500
	Section 194(D) - Penalty for not wearing protective headgear.	500	500
	Section 194(E) - Failure to allow free passage to emergency vehicles.	5000	5000
	Section 194(F) - Sounds the horn needlessly or continuously or more than necessary to ensure safety, or sounds the horn in an area with a traffic sign prohibiting the use of a horn, or drives a motor vehicle which makes use of a cut-out by which exhaust gases are released other than through the silencer.	1000	2000
14.	Section 196 - Driving uninsured vehicle.	2000	4000
15.	Section 198 - Unauthorised interference with vehicle.	1000	1000

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.